

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 27/2021

सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1- भंवरलाल देवकरण पि0 नंदा कौम गुर्जर सा0 देह निवासी तोलामाल

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :-

1. श्री ओम प्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक
2. श्री कुश कुमार सिंह राठौड अभिभाषक अप्रार्थी

—: आदेश :—

दिनांक—01.06.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी को ग्राम तोलामाल तहसील तहसील किशनगढ जिला अजमेर के आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.1.2002 को सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 11/10/4/3 रकबा 05-00-00 बीघा जिसके नवीन खसरा नम्बर 11/20 व खसरा नम्बर 21/316 मिन रकबा 00-04-00 जिसके नवीन खसरा नम्बर 21/316 रकबा 05-04-00 बीघा अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्र क्रमांक/कअ/राजस्व/ 2021/4756 दिनांक 15.04.2021 की पालना में ग्राम तोलामाल पैराफेरी में शामिल होने के बाद गैर खातेदारी के आवंटन/नियमन राज0 भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रश्नगत भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर भूमि सिवाय चक दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रस्तुत किया गया । पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। सुनवाई चाहने पर उपभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी को ग्राम तोलामाल तहसील तहसील किशनगढ जिला अजमेर के आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.1.2002 को सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 11/10/4/3 रकबा 05-00-00 बीघा जिसके नवीन खसरा नम्बर 11/20 व खसरा नम्बर 21/316 मिन रकबा 00-04-00 जिसके नवीन खसरा नम्बर 21/316 रकबा 05-04-00 बीघा अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। उक्त ग्राम तोलामाल किशनगढ की पैराफेरी में होने से उप सचिव शहरी विकास एवं हाउसिंग (ग्रुप III) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 10(5)जेडीएच 81 दिनांक 24.10.1981




जिला कलक्टर
अजमेर

की प्रति प्रस्तुत कर ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ की पैराफेरी में होने से एवं कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्र क्रमांक/कअ/राजस्व/ 2021/4756 दिनांक 15.04.2021 की पालना में ग्राम तोलामाल पैराफेरी में शामिल होने के बाद गैर खातेदारी के आवंटन/नियमन राज0 भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रश्नगत भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर भूमि सिवाय चक दर्ज किया जावे ।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने मुख्यतः निवेदन किया कि अप्रार्थी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना पूर्ण कर दी गई थी एवं उपरोक्त आवंटन भूमि आवंटन के समय पैराफेरी में नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त नहीं किये जाने योग्य है, साथ ही अप्रार्थी के आजीविका का एक मात्र साधन है जिसे अधिक कालावधी के पश्चात निरस्त करना अन्योचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 को खारीज किये जाने के एवं साथ ही अप्रार्थी को खातेदारी प्रदान करने के आदेश फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी को ग्राम तोलामाल तहसील तहसील किशनगढ जिला अजमेर के आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.1.2002 को सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 11/10/4/3 रकबा 05-00-00 बीघा जिसके नवीन खसरा नम्बर 11/20 व खसरा नम्बर 21/316 मिन रकबा 00-04-00 जिसके नवीन खसरा नम्बर 21/316 रकबा 05-04-00 बीघा अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। उक्त ग्राम तोलामाल किशनगढ की पैराफेरी में होने से उप सचिव शहरी विकास एवं हाउसिंग (ग्रुप III) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 10(5)जेडीएच 81 दिनांक 24.10.1981 की प्रति प्रस्तुत की गई, साथ ही कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्र क्रमांक/कअ/राजस्व/2021/4756 दिनांक 15.04.2021 की पालना में ग्राम तोलामाल पैराफेरी में शामिल होने के बाद गैर खातेदारी के आवंटन/नियमन राज0 भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रश्नगत भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त योग्य है। नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर के आराजी आराजी खसरा नम्बर 11/10/4/3 रकबा 05-00-00 बीघा जिसके नवीन खसरा नम्बर 11/20 व खसरा नम्बर 21/316 मिन रकबा 00-04-00 जिसके नवीन खसरा नम्बर 21/316 रकबा 05-04-00 बीघा भूमि का अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तत्काल नामान्तरकरण दर्ज कर राजहित में कब्जा प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.06.2026 को सरे अदालत सुनाया गया।




(लोक बन्धु)

जिला कलक्टर , अजमेर